प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति नंबर 76/2020)

तत्काल जारी किए जाने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''भारत में स्मार्ट सिटीजः आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्रेमवर्क'' पर एक श्वेत पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2020– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''भारत में स्मार्ट सिटीजः आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्रेमवक'' पर एक श्वेत पत्र जारी किया है।

2. स्मार्ट सिटी का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और एक आम मुख्य बुनियादी ढांचे की स्थापना करके और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके 'स्मार्ट समाधानों' को लागू करके एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है।

3. शहरों में लगातार बढ़ती आबादी का प्रबंधन करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शहरों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाए और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग करके प्रबंधित किया जाए।

4. भारत में विभिन्न स्मार्ट शहरों में नियोजित और लागू किए जा रहे आईसीटी बुनियादी ढांचे का अध्ययन करते समय, यह देखा गया है कि प्रत्येक स्मार्ट शहर अपने तरीके से आईसीटी समाधानों की योजना बना रहा है और उन्हें लागू कर रहा है और स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे के लिए कोई समान ढांचा नहीं है।

5. किसी भी नियमन या मानकों के अभाव में, गैर–मानकीकृत प्रोप्रिएटरी उपकरण और समाधान बाजार में आ गए हैं। इस तरह के मालिकाना या गैर– मानकीकृत समाधान साइलो में बनाए गए हैं और ये अंतरसंचालनीयता की समस्याएं पैदा करते हैं और अलग–अलग एप्लिकेशनों के बीच डाटा साझा करने से रोकते हैं।

6. गैर– मानकीकृत और गैर– अंतर– संचालनीय आईसीटी समाधान जोखिम पैदा करेंगे क्योंकि इनसे निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न होंगीः

- मालिकाना समाधान का मालिकाना रखरखाव और विक्रेता लॉक–इन होगा ।
- उन्नयन और स्केलेबिलिटी भी मालिकाना होगी और इसलिए यह महंगा होगा।
- अन्य क्षेत्रों में पुनर्प्रावर्तन (रेप्लिकेबिलिटी) एक चुनौती होगा।

• विभिन्न एप्लिकेशनों और सूचनाओं के आदान–प्रदान का एकीकरण करना एक चुनौती होगी।

• आपदा की स्थिति में एकीकृत राहत कार्य करना मुश्किल होगा।

7. इसे ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने स्मार्ट शहरों में उपयोग किए जाने वाले आईसीटी बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए यह श्वेत पत्र निकाला है। इस श्वेत पत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है:

- ❖ स्मार्ट सिटी– पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व
- ❖ स्मार्ट सिटी के विभिन्न तत्वों के लिए आईसीटी आवश्यकता
- ❖ अंतराल और चुनौतियां
- ❖ सिस्टम को इंटरऑपरेबल बनाने के लिए मानकीकृत आईसीटी तकनीक
- ❖ स्मार्ट सिटी के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉमन फ्रेमवर्क
- ❖ मानकीकृत, अंतर–परिचालनीय, लचीले, सुरक्षित आईसीटी बुनियादी ढांचे के विकास और कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों के एकीकृत प्रयास

8. श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, प्रमुख स्मार्ट समाधानों पर चर्चा की गई है, स्मार्ट शहरों के लिए विशिष्ट वैश्विक मानकीकरण और कनेक्टिविटी से संबंधित पहलुओं की आवश्यकता पर विचार किया गया है, और भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के लिए आईसीटी बुनियादी अवसंरचना के ढांचे की पहचान करने की कोशिश की गई है।

9. आगे की राह के रूप में, श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे में मानकीकरण, अंतर–संचालनीयता, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन हासिल करने पर जोर दिया गया है जिसे सुसंगत मानकों, अनुपालन परीक्षण, क्लाउड रणनीति, नेशनल ट्रस्ट सेंटर (डिवाइस परीक्षण के लिए), साइबर सुरक्षा रणनीति और डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

10. श्वेत पत्र उद्योग और टेक्नोक्रेट के लिए अपनी विचार प्रक्रिया को उभारने और भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रमुख समर्थकों की पहचान के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए द्वार खोलेगा।

11. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री एस.टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीफोन नंबर 91–11–23210481 और ईमेल आईडी: advmn@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है:

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।